अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

363/2022 / 225 RTA प्रभुलाल V/s त्रिलोकचंद

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2022/363 श्री मी०यू०ख़ान श्री G.S. लखावत	
10-4-23	प्रभु लाल बनाम त्रिलोक चन्द वगैरह (363/2022) पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 उपरिथत। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र वास्ते राजीनामा के आधार पर अपील को नोट प्रेस किये जाने बाबत् पेश कर कथन किया कि अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है तथा अब पक्षकारान के मध्य कोई विवाद शेष नहीं है इस आधार पर अपीलार्थीगण अब अपील को आगे नहीं चलाना चाहत है इस कारण अपीलार्थीगण को उक्त अपील को नोट प्रेस करने की अनुमति दिया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना– पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपीलांट द्वारा अपील को आगे नहीं चलाये जाने से अपील को नोट प्रेस करने की अनुमति प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांटस ने अपीलांट संख्या 01 से 3 की पहचान की तथा अपीलांट संख्या 01, 2/1 से 2/3, 3 ने अपने आधार कार्ड की फोटो हस्ताक्षर सहित पेश की तथा अपीलांट संख्या 01 व 2/3 व 3 स्वयं उपस्थित होकर कथन किया कि अपील को आगे नहीं चलाना चाहते है। अपीलांट एवं अभिभाषक अपीलांट अपील को आगे नहीं चलाये जाने से अपील को नोटस प्रेस कर अपील को खारिज करवाना चाहते है। **अतः अपील अपीलांटस नोट प्रेस किये जाने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।** राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	प्रभुलाल रामस्वरूप हीरालाल पन्नालाल (मोहम्मद यूसुफ एड०)

Scanned with CamScanner